

4.12.2024

पञ्जाबली अधिकाता कपीलाल के प्रयोग पर से
पेश हुयी। अधिकाता कपीलाल उपर प्रयोग
पर में वणित तथ्यों से फेरते हुए कथन
किया कि हस्तगत प्रकरण में पञ्जाबाल के
प्रथम आपसी सहपति / निपकार्डम का उद्देश्य
है। जिसे वे फेलग आपसी इकरामोमे के
लिए बिकामन करना तथा किया है। अतः
अब कपीलाल को कपील काल कागशी
चलाना चाहते हैं। इसलिए पञ्जाबली कागशी
ही वारीक पैरी पर ली जाकर फिर विशाल
खारिज की जावे।

तदुपरान्त कपीलाल अधिकाता

के कागशी पर हस्तगत कपीलाल कागशी
विशाल खारिज की जाते हैं। पञ्जाबली
केमल सुमार होउर केव से 50 की
जाउर दसकिल दयतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर